

भाग— II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या

7-	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8 मटाखाली से कोल्टा -मुछियाली होते हुये ग्राम उत्तरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	पौड़ी गढ़वाल।
iii)	वन प्रभाग	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित न भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	4.435 हैक्टेयर
v)	वन भूमि की कानूनी स्थिति	सिविल वन भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	0.5 हैक्टेयर
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न प्रजाति के 50 वृक्ष प्रभावित होंगे (पृष्ठ सं० 14 ए० व बी० पर)
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	प्रमाण-पत्र संलग्न है, पृष्ठ सं० 42 व 43 पर
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित मोटर मार्ग से आरक्षित वन सीमा की दूरी लगभग 3.00 से 4.00 कि०मी० है।
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भाग है (आदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं

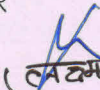
8-	प्रयोजना ऐजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नही तो जांच गए विकल्पों के ब्यौरे के मादवार संरक्षित क्षेत्र क्या है।				अपरिहार्य एवं न्यूनतम है, प्रमाण-पत्र संलग्न है। (पृष्ठ सं 47 पर)
9-	यथा अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हो/नही) यदि हो तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे है।				नही
10-	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :-				
i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिविधिरित वनक्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।				मरगुड स्थित की आरक्षित वन सीमा से दूरी लगभग 4.00 से 5.00 कि०मी है।
ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिविधिरित वनक्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास की सीमाओं को दर्शाता मैप।				मानचित्र संलग्न है, पृष्ठ संख्या-24 पर
iii)	स्थित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत आदि।				कचनार, रोबेनिया, बहेडा, हरड, आंवला इत्यादि।
iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए वित्तीय परिस्य।				₹ 1747186.00
v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिविधिरित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रत्येकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)				मरगुड स्थित वन का घनत्व न्यून होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत कचनार, रोबेनिया, हरड, आंवला इत्यादि प्रजातियों के रोपण हेतु क्षेत्र उपयुक्त है।
11-	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों के दर्शाते हुए (संलग्न करें)				संलग्न भाग-3 के अनुसार

12-	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
i)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र	539700.00 हैक्टेयर
ii)	प्रभाग का वन क्षेत्र	77789.17 हैक्टेयर
iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	03 मामले 8.687 हे.
iv)	1980 से जिला/प्रयोग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	—
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	—
(ख)	वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।	300.00 हैक्टेयर
(क)	वन भूमि पर	—
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	300.00 हैक्टेयर
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	जनहित को मध्यनजर रखते हुए संस्तुति की जाती है।

जनहित में संस्तुति प्रदान की जाती है.

दिनांक 6/08/2014

हस्ताक्षर

( प्रद्युम्न सिंह रावत)
प्रभागिय वनाधिकारी

स्थान :- पौड़ी गढवाल।

नाम सिबिल एवं लोयम, वन प्रभाग
पौड़ी (गढवाल)

सरकारी मोहर